सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 20/16 निर्णय दिनांकः– 05–09–2019

1. बलवन्त कुमार पुत्र जवाहरराम जाति कम्बोज निवासी गजनेर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

2. अपील संख्याः 21/16

1. अमोलखराम पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार निवासी गजनेर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

3. अपील संख्याः 22/16

1. रमेश कुमार पुत्र जवाहरराम जाति कम्बोज निवासी गजनेर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपीलें विरुद्ध निर्णय दिनांक 08–02–2016
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री रणजीत सिंह बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांटस
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने उक्त अपीलें उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 08–02–2016 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. उपरोक्त तीनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण तीनों अपीलों का निर्णय एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति तीनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने तीनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् बलवन्त कुमार पुत्र जवाहरराम का वादग्रस्त भूमि ग्राम गजनेर का साबिका खसरा नक्म्बर 594/122/14/1 तादादी 15 बीघा भूमि जिसके हाल नये खसरा नम्बर 361 तादादी 44.00 हेक्टर पैमूद हुए है, इसी प्रकार अपीलांट अमोलखराम पुत्र जैसाराम का वादग्रस्त भूमि ग्राम रोही मोडिया के साबिका खसरा नम्बर 122 मीन तादादी 25 बीघा जिसके भू–प्रबन्ध के दौरान नये खसरा नम्बर 105 तादादी 5.60 हेक्टर पैमूद हुए, इसी प्रकार अपीलांट रमेश कुमार पुत्र जवाहरराम का ग्राम गजनेर के साबिका खसरा नम्बर 594/122/14/1 तादादी 15 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 361 तादादी 5.00 हेक्टर पैमूद हुए है, पर अपीलांट्स का विगत् 30–35 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का नियमितिकरण नहीं किये जाने पर अदालत मातहत के समक्ष धोषणात्मक वाद पेश किया था जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना तनकी बनाये, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि तमाम

दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित था कि अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर लम्बे समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि अतिक्रमी लम्बे समय तक राजकीय भूमि पर काश्त करता है तो उसका कब्जा नियमन किया जा सकता है। परन्तु साथ ही यह व्याख्या कर दी गई कि धोषणात्मक वाद पेश नहीं कर सकते। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा धोषणात्मक वाद का निर्णय मात्र सरसरी तौर पर कर दिया गया। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं स्टेट द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जिस पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए अपीलांट व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी भूल कारित करते हुद कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2008 राज. पार्ट I पेज 670 व आरआरटी 2010 पार्ट II पेज 843 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त

साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट्स ने सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार की धोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, पूगल ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर तनकीयात् कायम की जाकर पक्षकारों की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न तो तनकीयात् कायम की तथा ना ही शहादत का परीक्षण करवाया।

परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए तकनीकी आधार पर वाद खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के वादी के कब्जे की सुरक्षा के अनुतोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की तथा काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद को प्रतिनिषिध बताकर खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट्स ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष सन् 1989 से लेकर वाद दायरी तिथि दिनांक 05—08—2014 तक कब्जे काश्त के सबूत के तौर पर धारा 91 के नोटिस तथा तावान की रसीदों की छाया प्रतियॉ पेश की थी, परन्तु शपथ पत्र द्वारा उन्हें प्रदर्शित नहीं करवाया गया। न्यायालय ने वाद को धोषणात्मक वाद की श्रेणी में नहीं मानकर खारिज कर दिया, परन्तु विधिक प्रावधानों में उपलब्ध वैकल्पिक अनुतोष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अधूरा होने के कारण निरस्त किया जाता है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2008 राज. पार्ट I पेज 670 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:—

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 , Sec. 91 - Encroachment over Govt. land - Tehsildar, while evicting from the land imposed penalty of Rs. 200/- and imprisonment of two month-Prayed for regularisation in view of Govt. circulars dated 01.04.1991 and 16.10.2001-Dispossession stayed by High Court, therefore, the case was not considered for regularisation of his possession - Petitioners are ready to follow all the procedures for regularisation of land - Held - Keeping in view for fact that the possession is old and more than 16 years have passed to the order passed by the Tehsildar - Directed to consider the case for regularisation in accordance with rules and circulars and till then he may not be evicted. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उक्त विवेचना व नजीर के प्रकाश में अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—02—2016 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त नजीर में दिये गये निर्देशों का ध्यान रखते हुए तथा अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 05—09—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर